प्रेषक,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या— — /बा0वि0परि0/251—स्थानां0—17/स्था0—1/2017, दिनांक 04 अगस्त,2017

विषयः—स्थानांतरण नीति—2017—18 के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2017 तक स्थानांतरित अधिकारियों को जनपद से कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्गत वर्ष 2017—18 हेतु निर्गत स्थानांतरण के क्रम में दिनांक 30.06.2017 तक इस विभाग में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आपके जनपद से स्थानांतरित करते हुए अन्य जनपद में तैनात किया गया है तथा स्थानांतरित अधिकारियों को जनपद से तत्काल कार्यमुक्त कर, इनका माह जून,2016 का वेतन नवीन तैनाती जनपद से आहरित करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्तानुसार किये गये स्थानांतरण के पश्चात एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त स्थानांतरित अधिकारियों को कार्यमुक्त किये जाने अथवा जनपद में तैनात किये गये अधिकारियों द्वारा योगदान किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों,जिनको आप द्वारा अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है उनको शीघ्र कार्यमुक्त करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने के साथ ही कार्यमुक्त किये गये अधिकारियों की सूचना, स्थानांतरण के उपरान्त जनपद में योगदान करने वाले अधिकारियों की सूचना के साथ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि स्थानांतरण आदेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

संख्या— 2118। /बा0वि0परि0/251—स्थानां0—17/स्था0—1/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ उक्त सूचना एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक